संख्या 4/2/89-स्था0 (वेतन-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त, 1989

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- एफ0 आर0 49 - अन्य पद के मौजूदा कार्यों का अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी को एफ0 आर0 49 (I/) के अनुसार कोई अतिरिक्त वेतन अनुज्ञेय नहीं है जिसको किसी अन्य पद के नैमित्तिक कार्यों का मौजूदा कार्यभार सम्भालने के लिए नियुक्त किया जाता है चाहे अतिरिक्त कार्यभार की अवधि कितनी ही क्यों न हो । वास्तव में यह देखा गया है कि बहुत से मामलों में अधिकारियों को अन्य किसी पद के मौजूदा कार्यभार का अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने के लिए नियुक्त किया जाता है परन्तु सम्बन्धित आदेश में इन कार्यों की परिभाषा नहीं दी जाती है और इसलिए संबंधित अधिकारी दूसरे पद के सभी कार्यों और कुछेक सांविधिक कार्यों का भी निष्पादन करता है । किन्तु उसके नियुक्ति आदेश की विशिष्ट भाषा को देखते हुए उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक का कोई भुगतान नहीं किया जाता है । कुछेक अन्य मामलों में ऐसे अधिकारी को अन्य पद के अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने के लिए कहा जाता है (जिसका अर्थ अन्य पद का पूरा कार्यभार) परन्तु उसे औपचारिक रूप में उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है और इसलिए उसे एफ0आर0 49 के अन्तर्गत अतिरिक्त पारिश्रमिक का कोई भुगतान नहीं किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और मुकदमे भी दायर किए गए हैं ।

2. ऐसी किसी परिस्थिति के बार-बार पैदा होने से बचने के लिए किसी अधिकारी को अन्य किसी पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार करते समय निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाए :-

(i) जब किसी अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी दूसरे पद के सांविधिक कार्यों सहित सभी कार्यों का निष्पादन करें, अर्थात् वह उन शक्तियों का प्रयोग करे जो संसद के अधिनियमों अर्थात् आयकर अधिनियमों; नियमों, विनियमों, उप-नियमों जिन्हें संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे कि एफ० आर०, सी०सी०एस० (सी०सी०ए०) नियमों, सी०एस०आर०, डी० एफ० पी० आर० के अन्तर्गत बनाया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से मामले पर कार्रवाई करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए और साथ ही सम्बन्धित अधिकारी को अतिरिक्त पद पर नियुक्त करने सम्बन्धी औपचारिक आदेश जारी करने चाहिए । नियुक्ति हो जाने पर एफ० आर० 49 में दर्शाए अनुसार उस अधिकारी को अतिरिक्त पारिश्रमिक की अनुमति दे दी जानी चाहिए ।

(ii) जहाँ किसी अधिकारी से सम्बन्धित पद से सम्बद्ध गैर - सांविधिक स्वरूप के नैमित्तिक सामान्य कार्य को करने की अपेक्षा की जाती है तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा कार्यालय आदेश जारी किया जाए जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि वह अधिकारी सांविधिक स्वरूप के दिन प्रति दिन के नैमित्तिक कार्य ही सम्पादित करेगा और वह किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा । सम्बन्धित कार्यालय आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि वह अधिकारी कौन से कार्य करेगा अथवा कौन से कार्य नहीं करेगा ।

3. वित्त मंत्रालय इत्यादि से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि अतिरिक्त कार्यभार के आधार पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किये जाने के समय उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन हो ।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत अधिकारियों का सम्बन्ध है ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महा लेखापाल के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

(ई० के० श्रीधरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि :

संलग्न सूची के अनुसार ।

*****